प्रकरण क्र0 - निग0 3302/2014/ सिंगरौली/भू-रा0

(77)

न्यायालय श्री मान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा, जिला रीवा म0प्र0

निगरानी प्रकरण क्रमांक /2014ई0

20 COURT FEE INDIA
बीस रुपये
TWENTY RUPEES

Rs. 20/-

R - 3302 - II/14

विश्वनाथ तनय नन्हकाई साहू निवासी ग्राम सटसरी, तह0 व जिला सिंगरौली म0प्र0 -------- ----- निगरानीकर्ता

विरुद्ध

शासन म0प्र0 जरिये जिलाध्यक्ष महोदय सिंगरौली म0प्र0 -- गैर निगराकार

निगरानी विरुद्ध आदेश कलेक्टर महोदय सिंगरौली जिला सिंगरौली म0प्र0 प्रकरण क्र0 171/ प्रवाचक/ 2014 आदेश दिनांक 30-7-14

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भूराजस्व संहिता सन 1959ई0

माननीय,
निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

1- यहकि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि, प्रक्रिया व प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

2- यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार तहसील सिंगरौली जिला सिंगरौली के प्रतिवेदन दिनांक 17-6-2014, क्र0 1491/ प्रवाचक/ 14 मे प्रतिवेदन की कण्डिका 1 मे जिन आराजी नम्बरो एवम रकबो मे हेरा फेरी माना है, उसका जवाब निगरानीकर्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, एवम अपने जवाब मे निगरानीकर्ता ने एक- एक बात का -2

523
3-9-14

...कृष्ण कुमार साहू ... के द्वारा आज दिनांक 03-09-14 प्रस्तुत किया गया।
रीडर
क्रमांक 3051 सर्किट कोर्ट रीवा रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक ______ को प्राप्त
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

-XXXIX(a)-BR(H)-11

(77)

[redacted]

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R3302-II/14 जिला– सिंगरौली

विश्वनाथ साहू/ म0प्र0 शासन

(1)	(2)	(3)
05/8/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अरूण कमार साहू उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर, जिला सिंगरौली प्रकरण क्रमांक 171/प्रवाचक/2015–12 में पारित आदेश दिनांक 30.07.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.10.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य	